

भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ

भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ

मूलतः (वर्ष 1949) संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। जबकि वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं; वर्ष 1951 के पश्चात् किये गए विभिन्न संशोधनों के तहत 4 अनुसूचियाँ (9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं) और जोड़ी गई हैं।



प्रथम अनुसूची

- ⦿ अनुच्छेद: 1 और 4
- ⦿ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

द्वितीय अनुसूची

- ⦿ अनुच्छेद: 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221
- ⦿ विभिन्न संवैधानिक पदों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएजी आदि) के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार

तृतीय अनुसूची

- ⦿ अनुच्छेद: 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219
- ⦿ शपथ या प्रतिज्ञान के प्रकार (केंद्रीय मंत्री, सांसद, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG आदि)

चौथी अनुसूची

- ⦿ अनुच्छेद: 4 और 80
- ⦿ राज्यसभा में सीटों का आवंटन

पाँचवीं अनुसूची

- ⦿ अनुच्छेद: 244
- ⦿ अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण

छठी अनुसूची

- ⦿ अनुच्छेद: 244 और 275
- ⦿ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

सातवीं अनुसूची

- ⦿ अनुच्छेद: 246
- ⦿ संघ सूची (98 विषय), राज्य सूची (59 विषय) और समवर्ती सूची (52 विषय)

आठवीं अनुसूची

- ⦿ अनुच्छेद: 344 और 351
- ⦿ संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ

नौवीं अनुसूची (पहला संशोधन अधिनियम, 1951)

- ⦿ अनुच्छेद: 31-B
- ⦿ कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन

दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985)

- ⦿ अनुच्छेद: 102 और 191
- ⦿ दलबदल विरोधी कानून

ग्यारहवीं अनुसूची (73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992)

- ⦿ अनुच्छेद: 243-G
- ⦿ पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व

बारहवीं अनुसूची (74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992)

- ⦿ अनुच्छेद: 243-W
- ⦿ नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व

और पढ़ें: [पाँचवी अनुसूची](#), [छठी अनुसूची](#), [आठवी अनुसूची](#), [नौवी अनुसूची](#), [दसवी अनुसूची](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/schedules-in-the-indian-constitution>

